वाणिज्य–जोधपुर डिस्कॉम/ 377

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

[redacted] [redacted]

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि./अ.प्र.नि./मु.अ.(सीपीएम)/अ.अ.(आर.ए.वा.)/फा /प्रे. 2585 दि. 1.3.07

आदेश

विषयः ओलावृष्टि से प्रभावित गांवो के लघु एवं सीमान्त काश्तकारों के बिलिंग माह जनवरी एवं फरवरी, 2007 के बिजली के बिलों के भुगतान की राशि माफ करने बाबत्।

राज्य में अभी हाल ही में हुई ओलावृष्टि से कुछ जिलों में फसल को काफी नुकसान हुआ है। उक्त स्थिति पर विचार कर राज्य सरकार ने ऐसे लघु एवं सीमान्त कृषकों जिनकी फसल 50 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त हो गई है को सहायता प्रदान करने हेतु निम्नलिखित निर्णय लिये हैः–

1. ओलावृष्टि से प्रभावित लघु एवं सीमान्त काश्तकारों की जिनकी 50 प्रतिशत से अधिक फसल खराब हुई है, उनसे बिलिंग माह जनवरी एवं फरवरी, 2007 के विद्युत बिलों की राशि वसूल नहीं करनी है।
2. इसके अतिरिक्त जिन काश्तकारों ने उक्त माहों के विद्युत बिलों की राशि जमा करावादी है उस राशि को आगामी बिलों में समायोजित कर दी जाए।
3. बिलों में दी गई छूट का पुनर्भरण राज्य सरकार के आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा किया जायेगा।

इस विषय में संबंधित अधिशाषी अभियन्ता (पवस), जिला कलेक्टर (सहायता) से सम्पर्क कर ओलावृष्टि से प्रभावित गांवो के लघु एवं सीमान्त काश्तकारों की ग्राम एवं उपभोक्तावार सूचना प्राप्त कर संबंधित सहायक अभियन्ताओं को उपलब्ध कराऐंगे। इस सूची के आधार पर ही संबंधित सहायक अभियन्ता द्वारा बिलिंग माह जनवरी एंव फरवरी, 2007 के बिलों की राशि को माफ करने की कार्यवाही की जाए।

निर्णयानुसार छूट देने के पश्चात् दी गई छूट की राशि का ग्राम एवं उपभोक्तावार विवरण मुख्य लेखाधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर को प्रेषित किया जाए। मुख्य लेखाधिकारी इस संबंध में उपभोक्ताओं को प्रदत्त छूट की राशि के पुनर्भरण हेतु ऊर्जा विभाग, राज्य सरकार को आवश्यक दावा (Claim) प्रेषित करेगें, ताकि राज्य सरकार से उक्त राशि का पुनर्भरण प्राप्त किया जा सके।

यह आदेश निदेशक मण्डल के अनुसमर्थन (Subject to ratification) की दशा में प्रसारित किये जाते है।

आज्ञा से

(हस्ताक्षर)

(ए.एम. लोढ़ा)
मुख्य अभियन्ता (सी.पी.एम.)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर